न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः– 102/2025

प्रार्थीः–

भगवतसिंह पुत्र हमीरसिंह भायल जाति राजपूत निवासी भायलों का वास सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. **श्री महावीर सिंह व श्री हुकमसिंह राठौड अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांकः– 29.08.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2224 रकबा 4.2978 हैक्टेयर की अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड,राशनकार्ड,जन आधार कार्ड,बैंक डायरी आदि में उसका वास्तविक नाम ''भगवतसिंह पुत्र हमीरसिंह भायल'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''भगवानसिंह'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1764 दिनांक 28.06.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधारकार्ड प्रस्तुत किये ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:49 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''भगवतसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2224 रकबा 4.2978 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''भगवानसिह'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम ''भगवतसिंह भायल पुत्र हमीरसिंह भायल'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''भगवानसिंह पुत्र हमीरसिंह'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिवाना तहसील सिवाना के खसरा संख्या 4.2975 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''भगवानसिंह पुत्र हमीरसिंह '' के स्थान पर ''भगतवसिंह भायल पुत्र हमीरसिंह भायल'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:49 IST
Reason: SelfAttested